न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 170/2019

1. हरीसिंह
2. मनीराम
3. चिरंजीलाल
4. लखमीचंद

पुत्रान अमीलाल जाति मेघवाल निवासी शेरडा त0 भादरा।

:–

वादीगण

ब ना म

1. अमीलाल पुत्र मूलाराम जाति जाति मेघवाल निवासी शेरडा त0 भादरा।
2. कोरदे
3. भतेरी
4. बादो
5. संतोष

पुत्रियां अमीलाल जाति मेघवाल निवासी शेरडा त0 भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री किशनलाल यादव एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर पूनियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शेरडा के खाता सं0 21/20 के खसरा सं0 265 की 2.4910है0, खसरा सं0 484 की 0.9230है0, खसरा सं0 596 की 0.9740है0, खसरा सं0 823 की 2.2000है0, खसरा सं0 843 की 1.9980है0 कुल 8.5860है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं0 1 हरीसिंह, वादीगण सं0 2 मनीराम, वादीगण सं0 3 चिरंजीलाल व वादीगण सं0 4 लखमीचंद को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.08.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) (सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 170/2019

1. हरीसिंह
2. मनीराम
3. चिरंजीलाल
4. लखमीचंद

पुत्रान अमीलाल जाति मेघवाल निवासी शेरडा त0 भादरा।

:– **वादीगण**

ब ना म

1. अमीलाल पुत्र मूलाराम जाति जाति मेघवाल निवासी शेरडा त0 भादरा।
2. कोरदे
3. भतेरी
4. बादो
5. संतोष

पुत्रियां अमीलाल जाति मेघवाल निवासी शेरडा त0 भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री किशनलाल यादव**: वादी**

वकील श्री सतवीर पूनियां**: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 16.08.25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शेरडा के खाता सं0 21/20 के खसरा सं0 265 की 2.4910है0, खसरा सं0 484 की 0.9230है0, खसरा सं0 596 की 0.9740है0, खसरा सं0 823 की 2.2000है0, खसरा सं0 843 की 1.9980है0 कुल 8.5860है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा मूलाराम की खातेदारी हुआ करती थी। मूलाराम के वाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं 1 ता 5 द्वारा दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ इकवालदावा पेश किया गया। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 हरिसिंह पुत्र अमीलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही शेरडा संवत 2071–74 प्रदर्श 1, जमाबंदी भू प्रबंध विभाग रोही शेरडा संवत 2019 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत शेरडा प्रदर्श 3 करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताविक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही शेरडा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही शेरडा संवत 2071–74 प्रदर्श 1, जमाबंदी भू प्रबंध विभाग रोही शेरडा संवत 2019 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत शेरडा प्रदर्श 3 करवाये। जिसमें प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण के अनुसार अमीलाल के चार पुत्र हरिसिंह, मनीराम, चिरंजीलाल व लखमीचंद व चार पुत्री कोरदे, भतेरी, बादो, संतोष तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तथा प्रदर्श 2 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शेरडा के खाता सं0 21/20 के खसरा सं0 265 की 2.4910है0, खसरा सं0 484 की 0.9230है0, खसरा सं0 596 की 0.9740है0, खसरा सं0 823 की 2.2000है0, खसरा सं0 843 की 1.9980है0 कुल 8.5860है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं0 1 हरीसिंह, वादीगण सं0 2 मनीराम, वादीगण सं0 3 चिरंजीलाल व वादीगण सं0 4 लखमीचंद को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.21...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

21